(1)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

:: **आदेश** ::

भोपाल, दिनांक 04 सितम्बर 2008

कमांक एफ 2–5/22/पं.–1/08, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त 2008 को अधिकमित करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70 (1) सहपठित धारा 69 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रसारित पंचायत कर्मी योजना दिनांक 12 सितम्बर 1995 में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. ग्राम पंचायत सचिव, को देय मानदेय हेतु निम्नानुसार योजना दिनांक 01 अप्रैल 2008 से प्रभावशील होगी :–

(क) पंचायत सचिव, की नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर समय वेतन मान रूपये 2200–50–3000–70–3700 प्रतिमाह तथा अध्यापक संवर्ग के बराबर मँहगाई भत्ता तथा रूपये 250/– प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता देय होगा।

(ख) समय वेतनमान प्राप्त करने के पूर्व पंचायत सचिव को विभागीय नियमों तथा कार्यकमों की संतोषजनक जानकारी अर्जित करना आवश्यक होगा।

2. पंचायत राज संस्थाओ को उपलब्ध कराई जाने वाली गौण खनिज राजस्व अन्तर्गत अनुदान राशि से पंचायत सचिवों को वेतनमान का भुगतान किया जावेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क 437/आर–1020/बी–6–08 दिनांक 04 सितम्बर 2008 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/9/08

(उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल
:: आदेश ::

क्रमांक/एफ 2–4/22/पं–1/2008 भोपाल, दिनांक 16/6/2008

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70(1) सहपठित धारा 69 की उपधारा (i) के अन्तर्गत प्रसारित पंचायत कर्मी योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका दिनांक 12 सितम्बर 1995 में राज्य शासन व्दारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) कंडिका कमांक 2.4 में वाक्यांश "इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबधित ग्राम पंचायत का मानसेवी कर्मचारी होगा तथा यह "पंचायत कर्मी" के नाम से जाना जावेगा।" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"इस तरह नियुक्त हुआ व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा तथा यह "ग्राम पंचायत सचिव" के नाम से जाना जावेगा।"

(2) कंडिका कमांक 2.4 के अतिरिक्त जहाँ जहाँ "पंचायतकर्मी" शब्द आया है उसे "ग्राम पंचायत सचिव" शब्दावली व्दारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एम.एम.लालवानी) 16-6-08
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल
भोपाल दिनांक 16/6/2008

पृष्ठांकन. एफ 2–4/22/पं–1/2008
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश भोपाल
2. निज सचिव, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश
3. निज सचिव माननीय राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6. आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश ।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क
8. समस्त कमिश्नर मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
11. समस्त जिला पंचायत "पंचायत प्रकोष्ठ," मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम.एम.लालवानी) 16-6-08
अवर सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

6

(45)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 2–5/22/पं.–1./08, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2008 के द्वारा पंचायत सचिवों को दिनांक 1 अप्रैल 2008 से वेतनमान स्वीकृत किया है।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा पंचायत सचिवो को दिनांक 01 सितम्बर 2008 से एक मुश्त इनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर राशि स्वीकृत करता है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र कमांक एफ 4–2/2008/नियम /चार दिनांक 19 सितम्बर 2008 द्वारा दी गई सहमति आधार पर जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19/9/08

(उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निरंतर...2/–

14

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार

भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को एकमुश्त 15 प्रतिशत वृद्धि का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-4/2/2008/नियम/चार, दिनांक 19 सितम्बर 2008।

...0....

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को दिनांक 1-9-2008 से उनके मूलवेतन के एकमुश्त 20 प्रतिशत वृद्धि का लाभ स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किये गये थे।

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त संदर्भित संवर्गों को दिनांक 01.04.2009 (माह अप्रैल, 2009 का वेतन, जो माह मई, 2009 में देय है) से मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त एकमुश्त वृद्धि स्वीकृत की जावे। इस राशि का भुगतान माह अप्रैल, 2009 के वेतन, जो माह मई, 2009 में देय है, के साथ किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रभाकर बंसोड़)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009

पृ. क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार

प्रतिलिपि : -

(1) महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) म.प्र. ग्वालियर / भोपाल
(2) आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग,
(3) आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
(4) आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग,
(5) आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,
(6) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश,
(7) समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजयलक्ष्मी वाररकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

...\PRO-ILYFPEKIINF\Desktop\II-7.doc

(15)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक–एफ– 2-3/22/पं-/2008
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/6/2008

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः– ग्राम पंचायत सचिव (पंचायत कर्मी) मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना के अर्न्तगत आर्थिक सहायता।

राज्य शासन व्दारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव (पंचायतकर्मी) के लिये मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना लागू की जाऐ। योजना की प्रति संलग्न है। इस योजना के अर्न्तगत ग्राम पंचायत सचिव (पंचायतकर्मी) की सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु होने की दशा में परिवार को रूपए एक लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी । योजना के कियान्वयन हेतु योजना के नियम लागू होगें। यह योजना प्रदेश में 1 जनवरी 2007 से प्रभावशील होगी ।

अनुग्रह अनुदान योजना की राशि मॉग संख्या–80–(आयोजनेत्तर)शीर्ष–2515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम–101--पंचायती राज–8214–सचिवीय व्यवस्था–42–सहायक अनुदान–009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना का कियान्वयन मद के अर्न्तगत विकलनीय होगी ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.न.–424/आर 1482/06/07 दिनांक 1.10.2007 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार,

(एम.एम.लालवानी) 16-6-08
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/एफ 2-3/22/पं/2008
प्रतिलिपिः--

भोपाल दिनांक 16/6/2008

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश भोपाल
2. निज सचिव, माननीय मंत्री,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश
3. निज सचिव माननीय राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर
6. आयुक्त, पंचायत राज,संचालनालय, मध्यप्रदेश ;
7. आयुक्त, जनसम्पर्क
8. समस्त कमिश्नर मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.एम.लालवानी) 16-6-08
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

7

पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश
तिलहन संघ भवन, भोपाल

क्रमांक / स्था / 08 / 990 भोपाल, दिनांक 6-6-08

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जबलपुर / सागर /
छतरपुर / बैतूल / भोपाल ।

विषय – ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद की दशा में प्रभार सौंपे जाने के संबंध में ।

संदर्भ – म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश दिनांक 21.10.08

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें ग्राम पंचायत का सचिव का पद रिक्त होने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं प्रशिक्षित मेट को अधिनियम की धारा 69 की उपधारा 4 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किये जाने के आदेश हैं । आपके जिले में पंचायत सचिव पद रिक्त होने पर पंचायत समन्वय अधिकारी / ग्राम सहायक को पंचायत सचिव का कार्य सौंपे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है ।

इस संबंध मे सदर्भित आदेशानुसार या शासन निर्देशानुसार पड़ोसी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि पंचायत समन्वय अधिकारियों द्वारा अपने मूल पदीय दायित्वों का कार्य भलिभांति किया जा सके ।

संयुक्त संचालक (प्रशासन)
वास्ते आयुक्त,
पंचायतराज संचालनालय म.प्र.

पृ0क्रमांक / स्था / 08 / 991 भोपाल, दिनांक 6-6-08

प्रतिलिपि –

1/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

2/ प्रान्ताध्यक्ष, पंचायत सेवा शासकीय अधिकारी / कर्मचारी महासंघ की ओर पत्र दिनांक 5.6.08 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक (प्रशासन)
वास्ते आयुक्त
पंचायतराज संचालनालय म.प्र.

11

-(21)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ~~एफ-2~~- 53/2003/22/पं-1 भोपाल, दिनांक - 22.9.2003

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - समस्त,
मध्यप्रदेश ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त
मध्यप्रदेश ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत - समस्त
मध्यप्रदेश ।

विषय:- सचिव (पंचायतकर्मी) को मुख्यालय पंचायत के अतिरिक्त अन्य पंचायत में सचिव के रिक्त पद का चार्ज दिलाये जाने के संबंध में ।

अनेकानेक कारणों से कुछ ग्राम पंचायतों में सचिव का पद रिक्त है/हो जाता है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नजदीक की पंचायत में कार्यरत ग्राम सहायक को उस पंचायत के सचिव का प्रभार सौंप दिया जाता है । ग्राम सहायक का पद डाईंग काडर होने के कारण मात्र कुछ ही पंचायतों में अब ग्राम सहायक कार्यरत हैं । ऐसी स्थिति में ऐसी पंचायत जिनमें सचिव का पद रिक्त है, के नजदीक की पंचायतों में ग्राम सहायक पदस्थ हों, सुनिश्चित नहीं हैं ।

अतः यह प्रावधान भी किया जाता है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का पद रिक्त है तो वह
विधिवत पद भरने तक नजदीक की ग्राम पंचायत एवं उसके सचिव(पंचायत कर्मी) की लिखित सहमति से उस
सचिव को अस्थायी तौर पर अपनी पंचायत के सचिव का प्रभार एवं पद भी सौंप सकेगी । इस हेतु दोनों ग्राम
पंचायतों द्वारा अपनी सहमति स्वरूप प्रस्ताव पारित किया जावेगा तथा दोनों पंचायतों की सहमति एवं सचिव की
लिखित सहमति को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा जायेगा, जो कि इनकी सत्यता की
पुष्टि उपरांत प्रस्तावित कार्यवाही हेतु लिखित सहमति देगा । यह सहमति संबंधित सरपंचों एवं सचिव (पंचायत
कर्मी) को दी जायेगी । किसी भी पंचायत हेतु यह सहमति एक बार में अधिकतम 3 माह तथा कुल अधिकतम (
माह के लिये दी जा सकेगी" । तदुपरांत दोनों सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से यह आदेश जारी होगा कि एव
पंचायत के सचिव(पंचायत कर्मी) द्वारा दूसरी पंचायत के सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार मुख्य कार्यपालन
अधिकारी द्वारा दी गई सहमति में उल्लेखित अवधि हेतु अथवा सचिव की विधिवत नियुक्ति होने तक अस्थायी
तौर पर संभाला जायेगा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहमति मिलने के उपरांत एक सचिव (पंचायत कर्मी
को किसी भी परिस्थिति में एक ही समय पर दो से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभार नहीं दिया जा सकेगा ।

कृपया इन निर्देशों की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत कर्मियों को भी दें।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन -
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग

निरंतर //2//

12

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

(23)

क्रमांक एफ 2– 53/2003/22/पं–1 भोपाल, दिनांक – 22/9/03

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 69(1) के प्रावधान के अंतर्गत सचिव के पद से डी–नोटिफाईड करने की प्रकिया बाबत् ।

पंचायत कर्मी की नियुक्ति के लिये राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी योजना, 1995 प्रदेश में प्रभावशील की गई है। इसके अनुसार पंचायत कर्मियों की नियुक्तियां ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 69 (1) के अधीन इन्हें कलेक्टर द्वारा सचिव घोषित किया जाता हे एवं ग्राम पंचायत द्वारा जब पंचायत कर्मी को अनियमितता का दोषी पाये जाने पर हटाया जाता है तो कलेक्टर उसे सचिव पद से अघोषित (डी–नोटिफाई) करते हैं ।

शासन के ध्यान में यह आया है कि कुछ प्रकरणों में विना कोरम वाली पंचायत के विधिवत प्रस्ताव के सरपंच के आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सचिव को डी नोटिफाई किया गया है । यह उचित नहीं है ।

कलेक्टर द्वारा सचिव (पंचायतकर्मी) को अघोषित (डी–नोटिफाईड) करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित पंचायत कर्मी को आरोप पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, आरोपों की जांच ग्राम पंचायत द्वारा करायी गई हैं जिसमें पंचायतकर्मी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है, जांच में पंचायत कर्मी पर आरोप सिद्ध पाये गये हैं तथा पंचायतकर्मी को सेवा से पृथक करने के पूर्व ग्राम पंचायत की सामान्य सभा द्वारा उसे हटाने का संकल्प पूर्ण कोरम वाली बैठक में पारित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपरोक्त समस्त प्रकिया अपना कर ही ग्राम पंचायत ने पंचायत कर्मी को हटाने का निर्णय लिया है, डी–नोटिफाई करने के पूर्व संबंधित पंचायत कर्मी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत को अवश्य सुन लिया जावे एवं तदुपरांत ही उचित निर्णय लिया जावे ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 2– 53/2003/22/पं–1 भोपाल, दिनांक 22/9/ 2003
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान0 मंत्री जी, पंचायत एवं समाज कल्याण ।
2. आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, मध्यप्रदेश ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला कार्यालय, समस्त पंचायत एवं समाज कल्याण मध्यप्रदेश । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग

11

16

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-6/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर ,2009

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--|||--

पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को वर्तमान में 82% मंहगाई भत्ता (35% अतिरिक्त वृद्धि को जोडकर) दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृति किया जाये :-

अवधि जब से देय है	महँगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-7-2009 (माह जुलाई, 2009 का वेतन जो अगस्त 2009 में देय होगा)	मूल वेतन का 4% (पूर्व के मंहगाई भत्ते तथा 35% अतिरिक्त वृद्धि को जोड़कर 86%)

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

10/24/2009

26

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-6/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2010

प्रति,

1. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   स्कूल शिक्षा विभाग
   मंत्रालय भोपाल

2. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--***--

पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को दिनांक 1-7-2010 (माह जुलाई 2010 का वेतन जो अगस्त, 2010 में देय हो) से 101% मंहगाई भत्ता (35% एक मुश्त अतिरिक्त वृद्धि जोड़कर) दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन, एतद् द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत करता है:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-10-2010 (माह अक्टूबर 2010 का वेतन जो नवम्बर 2010 में देय होगा)	मूल वेतन का 15% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर कुल 116%)

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1-10-10 की स्थिति में मूल वेतन

मूल वेतन — 2300 - दो वेतनवृद्धि सहित
DA. 116% 2668
TA 250
Total 5218

27

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

क्र0 स्था-3/ग्रा0सहा-15/2/10/5254 भोपाल, दिनांक 9-11-10

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत- (समस्त)
   म0प्र0
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत- (समस्त)
   म0प्र0

विषय :- पंचायत समन्वय अधिकारी (ग्राम सहायक) के कर्तव्य एवं दायित्व के कार्यों का निर्धारण।

संदर्भ :- संचालनालयीन पत्र क्र. एवं स्था-3/ग्रा0सहा -15/2/10/1637, दि. 26.04.10, क्र0 4495-4496, दिनांक 1.10.10

--00--

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र में पंचायत समन्वय अधिकारियों (ग्राम सहायक) के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव संगठन एवं म0प्र0 पंचायत समन्वय अधिकारी संगठन ने सूचित किया है कि जिला झाबुआ, खरगोन, धार एवं डिण्डोरी में अभी भी पंचायत समन्वय अधिकारी (ग्राम सहायक) से सचिवीय/लिपिकीय कार्य लिया जा रहा है जो कि संदर्भित आदेश की अवहेलना है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पंचायत समन्वय अधिकारी (ग्राम सहायक) से संदर्भित पत्र के अनुसार पंचायतों के समन्वय एवं पर्यवेक्षण संबंधित समस्त कार्य ही लिया जावे। अन्य कार्य देने पर जिम्मेदारी निर्धारित करें। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से ऐसे पी.सी.ओ की वेतन की राशि वसूल करने की कार्यवाही करें जो सचिव/लिपकीय या अन्य कार्य कर रहे है।

(हीरालाल त्रिवेदी)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

फोन न. 0755-2551721

360

I.K.03